

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

15⁰⁶/₁₇

पञ्जाबली आज राजा-9 लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2017 के तहत उच्च न्याय अदालत सेवा केन्द्र, ठिकरिया में पेदा हुई। वकील प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रकरण के संबंध में मजमे आम जांच की जाकर हुई मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार प्रकरण में विवाहित आराजीमान के विनिश्चय किये जाने के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा पड़नकारान राणी राजी अपनी श्रमियों की अदला बदली करना चाहते हैं।

राजा-9 लोक अदालत
 ठिकरिया



जज (सी डेरी) का
 जो नाम
 में पद का नाम
 धारण करता है
 15/6/17

प्रकरण में श्रमिधारी तक्षी-
 दिग्दार, जसेला औपचारिक पक्षकार हैं एवं
 राजा-9 सेवा परिषद् द्वारा नाग्रहिक हस्त
 पर होने के कारण श्रमिधारी तक्षीलदार फते-
 हस्ताल पर हैं।

अतः लोक अदालत की आज्ञा
 से श्रमिधारी का श्रमिधारी-पत्र लकीठार
 किया जाने सोच्य पाया जाने पर लकीठार
 किया जाना है तथा आदेश दिया जाता है
 कि :-

आदेश

तब आम ठिकरिया के श्रमि ज.नं. 1100/17
 रकम 0.05 है समूर्ण का श्रमिधारी (प्रथम
 पक्षकार) को अदेदार कार्यकार अतिरिक्त
 जाकर उक्त ज.नं. से श्रमिधारी (द्वितीय
 पक्षकार) का नाम हस्त किया जाता है तथा



उ अदालत
 र कार्यक्रम
 मटल सेवा
 कील प्रथम
 प्रकरण
 की जाकर
 गयी जिमके
 आराजीयात
 में किमी के
 रान रापी
 ल उदली
 पारी नकील-
 र हैं एवं
 हिउ हउतात
 नीलदा फरेला
 की आगन।
 1-बीठार
 र 1-बीठार
 के जात हैं
 1100/4
 गिना प्रथम
 कोठिन क्रिया
 (दरिनीय
 जात हैं तथा

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 उमल दरामद हेतु तदानीलदार फरेला
 के तहरीर आदेश जारी होकर पचावली
 कुशल सुमार होकर नम्बर ले कम ही
 तथा बाद तन्मील दाखिल दफतर हो। निर्णय
 मजमे आम सुनाया गया।

भागीरथ साख
 (M/S)
 एगजक्युटिव
 (कानून सेवा) फरेला

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तालीम
 में जारी हुए